

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
"संविदा भवन", 14-आर्मी मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1252-कायिनी/पाकालि-29/2001-14-कायिनी/87, दिनांक-29 अगस्त, 2001।

कार्यालय-आप
=====

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संघों के पदों पर "अनुपयुक्त" एवं "अनुपयुक्त को अपेक्षित करने हुए व्यक्तियों" के मापदण्डों के आधार पर प्री-नॉमिनेशन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्ववर्ती परिपत्र के कार्यालय आप संख्या-1327-कायिनी/रा.पिप-29/96-14-कायिनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 तय किए गए पावर कारपोरेशन के कार्यालय आप संख्या-952-कायिनी/पाकालि-29/2001-14-कायिनी/87, दिनांक 09.7.2001 के साथ संलग्न प्रक्रिया अनुदेशों में कार्यालय आप संख्या-1327-कायिनी/रा.पिप-29/96-14-कायिनी/87, दिनांक 11.7.96 के प्रस्ताव 2(क) अर्थात् कि अपील लिखित तालिका के स्तम्भ-1 में निर्दिष्ट है, को स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था

प्रतिस्थापित व्यवस्था

1. चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना।
 2. अधिसूची अधिनियम एवं अन्य संघों के समस्त स्तर तक के पदों पर प्री-नॉमिनेशन हेतु "अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी" को माना जाएगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रदर्शितियों 1 टण्ड के परास्वरूप मानी गयी खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रदर्शितियों को सम्मिलित करते हुए की संख्या बार अधिक उससे अधिक है।
- प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्याओं, अन्तिम वर्ष को प्रमाणित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा।

- यथावत्
अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं।

- प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से कोई दो वार्षिक गोपनीय आख्याओं ठीक होना आवश्यक होगा।

[Handwritten signature]

1. A

1. टट वधे से कम की विचारणीय

सेवा अधि के मामलों में

उपयुक्तानुसार खराब/प्रतिफल

प्रतिष्ठानों की संख्या 40 जालीत।

प्रतिष्ठान अधि उरते अधिक होगी।

2. उपयुक्त संशोधित प्रबंधन' चयन' वर्ष 2001-2002 से ही लागू होगी। पूर्व वर्षों में लिये गये निष्पे पुनरोद्घाटित नही किये जायेगे।

3. प्रबंधनी परिषद के कार्यालय काप संख्या-1327-काविनी/रापिप-29/96-

4-काविनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 में निहित अन्य प्राविधान यथावत् प्रयोज्य होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

पी. आर. सिंह
निदेशक का 090 एवं प्रशासन।

संख्या-12521/काविनी/पाका-लि-29/2001, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1.1 अधि एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
 - 1.2 अधि एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
 - 1.3 अधि एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
 - 1.4 समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 1.5 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०वर कारपोरेशन लि०।
 - 1.6 मुख्य अभियंता जल विद्युत, उ०प्र०पा०का०लि०, 4-विद्युत विभाग मार्ग, लखनऊ।
 - 1.7 समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०वर कारपोरेशन लि०।
 - 1.8 महाप्रबन्धक, कम्प्यूटर डिजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 1.9 समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०वर कारपोरेशन लि०।
 - 1.10 कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 18.7.2001 में गट संख्या-बाइत 1301/2001 पर लिये गये निष्पे के संदर्भ में।
 - 1.11 समस्त अभियंता अभियंता, उ०प्र०पा०वर कारपोरेशन लि०।
 - 1.12 समस्त अधिकारी, उ०प्र०पा०वर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

1. वसुधा राज प्रसाद 11.8.2001
उप महाप्रबन्धक का विनी।